बिहार सरकार

वाणिज्य–कर विभाग

मासिक भाड़े पर वाणिज्यिक निबंधित वाहन

उपलब्ध कराने हेतु अल्पकालीन निविदा

निदेशानुसार, वाणिज्य–कर विभाग, बिहार, पटना के नवनिर्मित 'कर भवन' पटना–800001 में पदाधिकारियों एवं कार्यालय के प्रयोजनार्थ मासिक भाड़े पर वाणिज्यिक निबंधित लगभग 25 (पच्चीस) वाहनों (ईधन, चालक, रख–रखाव पर व्यय एवं सभी कर सहित) की आवश्यकता के मद्देनजर अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है।

वर्णित वाहनों की आपूर्ति हेतु इच्छुक एजेंसियों से मुहरबंद निविदा **दिनांक** .....06/4/26......... **के अपराह्न** 5:30p.m **बजे** तक सभी कार्य दिवसों में वाणिज्य–कर विभाग ईस्ट गार्डिनर रोड, कर भवन के प्रथम तल स्थित के कमरा संख्या 17 में रखे सीलबन्द बाक्स में समर्पित किया जायेगा एवं **दिनांक** ....07/4/26........ **को** ....4:00 p.m...... **बजे** तकनीकी निविदा खोली जायेगी।

निविदा प्रक्रिया 2 Bid System के अनुसार दो अलग–अलग सीलबंद लिफाफे में प्राप्त किये जायेंगे जिसपर स्पष्ट रूप से क्रमशः तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अंकित होगा। इन दोनों सीलबंद लिफाफे को एक बड़े लिफाफे में रखकर सीलबंद कर निर्धारित समय–सीमा के पूर्व समर्पित करना होगा। निर्धारित समय–सीमा के पश्चात् प्राप्त होने वाले किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायगा। निविदा की शर्तों में किसी प्रकार के संशोधन अथवा बिना कारण बताये निविदा को रद्द करने का अधिकार आयुक्त–सह–सचिव, वाणिज्य–कर विभाग, बिहार, पटना के पास सुरक्षित होगा।

निविदा हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप एवं विस्तृत निविदा सूचना वाणिज्य–कर विभाग, बिहार, पटना के बेबसाईट **state.bihar.gov.in/biharcommercialtax** पर उपलब्ध है।

ह० / –
राज्य–कर अपर आयुक्त (लेखा),
वाणिज्य–कर विभाग,
बिहार, पटना।

संख्याः–ले०मु०वाहन–03–03–01 / 2026 889 पटना / दिनांकः– 13/03/26.........

प्रतिलिपिः–राज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रचार एवं प्रसार शाखा) को सूचना एवं जन संपर्क विभाग के माध्यम से समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं आई०टी० मैनेजर वाणिज्य–कर विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित उक्त निविदा विज्ञापन पर राज्य कर आयुक्त–सह–सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

13/03/26

राज्य–कर अपर आयुक्त (लेखा),
वाणिज्य–कर विभाग,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
वाणिज्य–कर विभाग

भाड़े पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु निविदा का आमंत्रण

वाणिज्य–कर विभाग के नवनिर्मित 'कर भवन' बिहार, पटना के पदाधिकारियों एवं कार्यालय के व्यवहारार्थ मासिक भाड़े पर विभिन्न श्रेणियों के लगभग 25 (पच्चीस) वाहनों (ईधन, चालक, रख–रखाव पर व्यय एवं सभी कर सहित) की आवश्यकता है। वाहनों की संख्या आवश्यकता के अनुसार बढ़ाई या घटाई जा सकती है।

वाहनों की आपूर्ति हेतु इच्छुक एजेंसियों से समाचार पत्र में निविदा **दिनांक** 06/04/26 **के अपराह्न** 5:30 p.m **बजे** तक ईस्ट गार्डिनर रोड, कर भवन के प्रथम तल स्थित के कमरा संख्या – 17 में रखे सीलबन्द बाक्स मुहरबंद निविदा समर्पित किया जा सकेगा। **दिनांक** 07/04/26 **के पूर्वाह्न** 4:00 p.m **बजे** तकनीकी निविदा खोली जाएगी। निविदा के खुलने के समय स्वयं या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। निविदा राज्य–कर अपर आयुक्त के कार्यालय कक्ष संख्या – 07 में क्रय समिति के सदस्यों के समक्ष खोली जाएगी। निविदादाता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि के अनुपस्थित रहने की स्थिति में भी ससमय प्राप्त निविदाएँ खोल दी जाएगी। तकनीकी निविदा खोलने के पश्चात् वित्तीय निविदा खोलने की तिथि एवं समय निर्धारित की जायेगी।

निविदा प्रक्रिया 2 Bid System के अनुसार दो अलग–अलग सीलबंद लिफाफे में प्राप्त किए जाऐंगे, जिसपर स्पष्ट रूप से क्रमशः तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अंकित होगा, इन दोनों सीलबंद लिफाफे को एक बड़े लिफाफे में रखकर सीलबंद कर निर्धारित समय–सीमा के पूर्व समर्पित करना होगा। निर्धारित समय–सीमा के पश्चात् प्राप्त होने वाले किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

तकनीकी निविदा :–

1. एजेन्सी/फर्म का निबंधन प्रमाण पत्र (Shops & Establishment Act/Companies Act के अन्तर्गत निबंधन संख्या) की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति।
2. GST निबंधन प्रमाण पत्र की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति एवं अद्यतन GST R-3B की कॉपी संलग्न करना होगा। अंतिम दाखिल GST R-3B की प्रति संलग्न करना होगा।
3. पैन कार्ड एवं आधार कार्ड की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति।
4. निविदादाता का पिछले दो वर्षों (वित्तीय वर्ष 2023–24 एवं 2024–25) में प्रति वर्ष Annual Turnover न्यूनतम रु० 80 लाख का होना चाहिए, इससे संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा। विगत तीन वर्षों का आयकर रिटर्न Balance Sheet एवं P/L A/C सहित (अद्यतन वित्तीय वर्ष 2024–25 तक) संलग्न करना होगा।
5. निविदाकर्त्ता को इस आशय का अद्यतन शपथ–पत्र देना होगा कि न्यायालय में उनके विरूद्ध कोई वाद लंबित नहीं है एवं उनकी एजेन्सी काली सूची/डिबार सूची में दर्ज नहीं है। तत्संबंधी शपथ–पत्र की Notarized Affidavit संलग्न करना अनिवार्य है।
6. कार्य करने का न्यूनतम तीन वर्ष का कार्य अनुभव से संबंधित प्रमाण–पत्र।
   कार्य अनुभव प्रमाण–पत्र के जगह कार्यादेश अनुमान्य नहीं होगा।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **(Drawing & Disbursing Officer)**, वाणिज्य—कर विभाग, बिहार, पटना के नाम से रु० 50,000/—(पचास हजार) का डिमांड ड्रॉफ्ट निविदा के साथ Earnest Money Deposit के रूप में संलग्न करना अनिवार्य है। डिमांड ड्रॉफ्ट निविदा के साथ अनुपलब्ध रहने पर निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। कोटेशन अस्वीकृत होने की स्थिति में उक्त Earnest Money Deposit की राशि वापस कर दी जाएगी। सफल कोटेशन दाता के Earnest Money Deposit की राशि एजेन्सी से एकरारनामा के पश्चात् विभाग के विभागीय क्रय समिति में निर्धारित दर के अनुरूप Performance Bank Guarantee प्राप्त करने के पश्चात् लौटायी जाएगी। Earnest Money Deposit की राशि की वैधता एकरारनामा तक रखनी होगी एवं इस पर किसी प्रकार का सूद देय नहीं होगा। केन्द्रीय क्रय संगठन/राज्य क्रय संगठन, राष्ट्रीय लघु उद्योग कॉरपोरेशन (एन•एस•आई•सी•) MSME एवं स्टार्टअप में पंजीकृत अथवा संबंधित विभागों में पंजीकृत फर्म को उक्त बोली प्रतिभूति जमा करने में छूट ले सकते है, बशर्ते तत्संबंधी अभिलेख/दस्तावेज की प्रति संलग्न करना होगा।
8. वाणिज्यिक निबंधित वाहन उपलब्ध कराये जाने से संबंधित स्वघोषणा—पत्र।
9. सभी समर्पित कागजातों के सही होने का स्वघोषणा—पत्र समर्पित करना होगा।

वित्तीय निविदा :—

1. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदा खोली जाएगी।
2. वित्तीय निविदा में वर्णित राशि अलग—अलग श्रेणियों में वाहन का मासिक दर 1000 कि०मी० ईंधन एवं चालक सहित दी जायेगी। 1000 कि०मी० से अधिक चलने पर अनुपातिक आधार पर अतिरिक्त भुगतान किया जायेगा।
3. इसमें निविदाता का नाम, पता, मोबाईल नम्बर एवं e-mail ID के साथ—साथ फर्म का मुहरांकन स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए।
4. वित्तीय निविदा इस निविदा आमंत्रण सूचना के साथ संलग्न विहित प्रपत्र में ही देना होगा किसी अन्य प्रपत्र में समर्पित वित्तीय निविदा स्वीकार्य नहीं होगा। विहित प्रपत्र में उक्त सूचनाओं के साथ स्पष्ट दर अंकित नहीं होने पर उनके निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

आवश्यक अन्य शर्त्ते :—

1. निविदा दाता सीलबंद निविदा डाक द्वारा या हाथो—हाथ इस तरह भेजेगें की प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय तक कार्यालय कक्ष संख्या— 17 में रखे Drop Box में प्राप्त हो जाय। अंतिम तिथि एवं समय के उपरांत प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

2. वाणिज्यिक निबंधित वाहन वर्ष 2023 अथवा उसके बाद का Make एवं अच्छी स्थिति में होना अनिवार्य होगा।

3. उक्त सभी वाहन में आकस्मिक चिकित्सा किट एवं अग्निशमक उपकरण के साथ सुसज्जित होने चाहिए एवं सीट पर साफ एवं सैनेटाईजड तौलिया लगा होना चाहिए।

4. यह सुनिश्चित हो कि वाहन के विद्युत कनेक्शन, लाईट, हॉर्न, मोड़ लाईट, एयर कंडीशनर एवं वाहन के अन्य उपकरणीय सिस्टम अच्छी स्थिति में हो तथा समय–समय पर इसकी जाँच होनी चाहिए, जिससे विभाग को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

5. उपलब्ध कराये गये वाहन से संबंधित ईंधन, चालक एवं रख–रखाव पर व्यय एवं संबंधित सभी कर, Penalty एवं Fines तथा वाहन में किसी प्रकार क्षति/हानि का वहन एजेन्सी द्वारा स्वंय किया जाएगा। इसके लिए विभाग जिम्मेवार नहीं होगा।

6. उपलब्ध कराये गये वाहन के चालक का मानदेय एवं अन्य व्यय, दैनिक रख–रखाव एवं मरम्मति आदि पर होने वाले व्यय का वहन एजेंसी के द्वारा किया जाना होगा।

7. चयनित एजेंसी को एकरारनामा के समय एजेंसी अथवा एजेंसी के प्रोपराईटर के नाम से वाणिज्यिक रूप से निबंधित वाहनों की सूची उपलब्ध करानी होगी। यदि चयनित एजेंसी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या संस्था के नाम से वाणिज्यिक रूप से निबंधित वाहन उपलब्ध कराया जाता है तो वैसी स्थिति में चयनित एजेंसी एवं उक्त संबंधित व्यक्ति/संस्था के बीच वाहन प्राप्त किए जाने का परस्पर एकरारनामा की प्रति उपलब्ध करानी होगी।

8. प्रत्येक महीने के 26 दिन हेतु वाहन की सेवा प्राप्त की जायेगी एवं प्रत्येक दिन सामान्यतया 12 घंटे की सेवा अवधि होगी, परन्तु सरकारी कार्यो हेतु आवश्यकतानुरूप किसी भी समय वाहन उपलब्ध कराने के निदेश का अनुपालन अनिवार्य होगा। अतिरिक्त दिन एवं समय हेतु अनुपातिक आधार पर अतिरिक्त भुगतान होगा। कार्यहित में पटना के बाहर निरीक्षण आदि के लिए जाने पर कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं होगा।

9. अलग–अलग वाहन श्रेणियों के लिए अलग–अलग निविदादाताओं का दर न्यूनतम पाये जाने पर विभागीय क्रय समिति को यह अधिकार होगा कि वे किसी भी श्रेणी में न्यूनतम दर प्रस्तावित करने वाले एजेन्सी अथवा/और निर्धारित न्यूनतम दर पर निविदा में प्रतिभागी एक से अधिक एजेंसियों से भाड़े पर वाहन उपलब्धता के संबंध में वार्ता कर सके।

10. निविदा को संशोधित करने का तथा बिना कारण बताये निविदा को रद्द करने का अधिकार वाणिज्य–कर विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।

11. निर्धारित किये गये शर्तो पर चयनित एजेंसी/एजेंसियों को एक वर्ष के लिए एकरारनामा निष्पादित करना होगा। चयनित सेवाप्रदाता की सेवा संतोषप्रद होने की स्थिति में उनकी सेवा अवधि विस्तार आपसी सहमति से अगले एक वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।

12. वाहन आपूर्ति हेतु कार्यादेश निर्गत होने के एक सप्ताह के अन्दर वाणिज्यिक निबंधित वाहन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

13. शर्तों के अनुरूप वाहन उपलब्ध नहीं कराने वाली एजेन्सी को काली सूची में डालने की प्रक्रिया तथा अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

14. चयनित एजेंसी को निर्धारित मासिक किराया के अतिरिक्त कोई भी राशि देय नहीं होगी एवं मासिक किराया के भुगतान के समय नियमानुसार सभी प्रकार के करों यथा आयकर, GST आदि की कटौती स्त्रोत पर की जायेगी।

15. सेवा अवधि के दौरान वाहन की साफ–सफाई, स्वच्छ तौलिया एवं कोविड प्रोटोकॉल के दृष्टिगत में Proper Sanitization आदि की व्यवस्था एजेंसी द्वारा की जायेगी।

16. वाहन को विभाग/पदाधिकारी/कर्मी द्वारा बताये गये नियत स्थान पर ही रखना होगा। यदि वाहन को पेट्रोल भरवाने, इत्यादि के लिये बाहर ले जाने की जरूरत हो तो सेवा प्राप्तकर्त्ता को जानकारी में देकर ही ले जाना होगा, यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो यह माना जायेगा कि उस समय वाहन सेवा प्राप्तकर्त्ता को उपलब्ध नहीं कराया गया एवं इसके लिये वाहन आपूर्तिकर्त्ता पर दण्ड अधिरोपित किया जा सकता है।

17. वाहन आपूर्तिकर्त्ता द्वारा आपूर्ति किये गये वाहन का RC, Insurance, PUC, चालक के Driving Licence एवं चारित्रिक प्रमाण–पत्र की छायाप्रति विभाग में जमा करना होगा।

18. सेवाप्रदाता द्वारा पूर्णतः कम्प्यूटीकृत/टंकित विपत्र भुगतान हेतु प्रस्तुत करना होगा।

19. बिहार खरीद अधिमानता नीति 2024 के प्रावधान इस निविदा के लिए लागू होगें।

<u>प्रतिनियुक्त चालक/कर्मी का दायित्व :–</u>

1. वाहन आपूर्तिकर्त्ता वाहन पर प्रतिनियुक्त किये जाने वाले चालक एवं कर्मी द्वारा संपादित कार्यों के लिये पूर्ण रूप से जिम्मेवार होंगे।

2. चालक एवं कर्मी अपना कार्य विनम्रतापूर्वक संपादित करेगें एवं दूसरे कर्मी से भी उनका व्यवहार विनम्रतापूर्वक होगा। ऐसा नहीं होने पर प्रतिनियुक्त चालक/कर्मी पर निविदा की शर्तों के अनुरार दण्ड अधिरोपित किया जायेगा। ऐसी गलती बार–बार दोहराने पर एवं निम्नांकित व्यवहार के कारण सेवा से मुक्त कर दिया जायेगा।

(क) कार्यावधि के दौरान चालक/कर्मी का कर्त्तव्य से इंकार करना यदि, संबंधित पदाधिकारी या विभाग द्वारा सूचित किया जाता है।

(ख) असंवैधानिक भाषा का इस्तेमाल करना।

3. चालक किसी भी हालत में शराब पीकर एवं अन्य नशे में उपस्थित नहीं होंगे।

4. चालक के पास एक मोबाईल, वैध नम्बर के साथ होना चाहिए, जिससे विभाग/पदाधिकारी कर्मी भी संपर्क कर सके।

5. अतिथियों के साथ अनावश्यक बात–चीत एवं कार चालन के समय मोबाईल का उपयोग स्वीकार नहीं होगा। आकस्मिक स्थिति में चालक आदेश लेकर वाहन किनारे खड़ा कर मोबाईल का उपयोग कम से कम समय के लिये कर सकते है।
6. चालक एवं वाहन को तुरन्त–तुरन्त बदली नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे किसी भी बदलाव की सूचना पूर्व में वाहन आपूर्तिकर्त्ता द्वारा दी जानी चाहिए।

<u>नियमों का अनुपालन एवं कर :–</u>

1. किराया चार्ज में सभी ईंधन खर्च, अनुरक्षण कल पूर्जों सहित एवं चालक तथा कर्मी का वेतन, बीमा का प्रीमियम, रोड टैक्स सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त राज्य के बाहर वाहन पर लगने वाला कर का भुगतान विभाग द्वारा वास्तविक भुगतान रसीद के आधार पर किया जायेगा।
2. वाहन आपूर्तिकर्त्ता प्रतिनियुक्त वाहन का व्यापक बीमा Third Party असीमित रिस्क के साथ लेगा। विभाग किसी भी दुर्घटना, आम जनता एवं Third Party को होने नुकसान के लिये जिम्मेवार नहीं होगा।
3. वाहन आपूर्तिकर्त्ता Third Party द्वारा किया गया दावा/वाहन दुर्घटना में वाहन पर सवार वाणिज्य–कर विभाग के पदाधिकारी/कर्मी को होने वाले नुकसान के लिये पूर्ण रूप से जिम्मेवार होंगे।
4. वाहन आपूर्तिकर्त्ता श्रम कानून विशेष कर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम मजदूरी भुगतान अधिनियम, भविष्य निधि, राज्य कर्मचारी अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम, Contract Labour (R&A) Act Workman Compensation Act. etc. का अनुपालन यथा समय सुनिश्चित करेंगे। वाहन आपूर्ति के कर्मी/चालक वाणिज्य–कर विभाग के कर्मी नहीं माने जाएँगे। अतः उपर्युक्त नियमों का पालन करना वाहन आपूर्तिकर्त्ता की जिम्मेवारी होगी।
5. चालक के द्वारा किसी भी तरह की दुर्व्यवहार इत्यादि के लिए आपूर्तिकर्त्ता व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे।
6. संविदा अवधि के दौरान यदि वाहन को आरक्षी/मोटर वाहन अधिकारी या अन्य किसी अधिकारी द्वारा जब्त किया जाता है या रोक रखा जाता है तो इसकी जिम्मेवारी वाहन आपूर्तिकर्त्ता की होगी। ऐसी स्थिति में वाहन आपूर्तिकर्त्ता द्वारा वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था प्रतिनियुक्त वाहन के अनुरूप या इससे उच्च श्रेणी का वाहन वाणिज्य–कर विभाग को बिना किसी अतिरिक्त खर्च के उपलब्ध कराया जायेगा।
7. वाणिज्य–कर विभाग द्वारा वाहन को कार्य के लिए प्रतिनियुक्त किये जाने की स्थिति में वाहन पर वाणिज्य–कर विभाग के कर्मी के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति को ले जाना प्रतिबंधित होगा। वाहन आपूर्तिकर्त्ता द्वारा यात्रियों की सुरक्षा, चालक की अनदेखी, तेज गति एवं अनियमित चालक, खराब/ब्रेक फेल जैसी कृत नहीं करने के विरुद्ध सुनिश्चित की जायेगी।

8. वाहन आपूर्तिकर्त्ता आपूर्ति किये गए वाहन को किसी भी स्थिति में विभाग के निर्देश के बिना किसी अन्य कार्य हेतु प्रयोग नहीं करेंगे। जितने दिन के लिये ऐसा करते पाये जायेगें उससे दोगुने दिन के लिए Pro rata Basis पर मासिक भाड़ा में से दण्ड स्वरूप राशि की कटौती की जायेगी।

9. वाणिज्य–कर विभाग की मांग पर वाहन आपूर्तिकर्त्ता वाहन Tracking System उपलब्ध करायेंगे एवं यात्रा का रिकार्ड/डाटा आगमन से प्रस्थान तक माईलेज के साथ उपलब्ध करायेंगे। माईलेज की गणना यात्रा आरंभ स्थान से की जायेगी न कि कोई अतिरिक्त स्थान से।

10. वाहन आपूर्तिकर्त्ता द्वारा बिल जो नियमों के आलोक में हो समर्पित किया जायेगा एवं वाणिज्य–कर विभाग वाहन आपूर्तिकर्त्ता को बिल की राशि में, यदि दण्ड स्वरूप कोई कटौती किया जाना आवश्यक हो, उसकी कटौती करते हुए भुगतान करेगा।

11. Toll Tax, Octroi, Parking Charges And Other Statutory levies जो यात्रा के दौरान प्रभावी हो का भुगतान वाणिज्य–कर विभाग द्वारा प्रस्तुत बिल/कैस मेमो/मान्य साक्ष्य के आधार पर किया जायेगा।

12. यात्रा की दूरी की गिनती यात्रा आरंभ के स्थान से की जायेगी। यात्रा के लिए गैरेज से या गाड़ी के रात्रि में जहाँ रखा जाता है वहाँ से यात्रा आरंभ की दूरी का भुगतान नहीं किया जायेगा।

13. प्रतिदिन नियत समय पर पदाधिकारी/कर्मी जब वाहन को कार्यालय कार्य के लिए व्यवहार करना शुरू करेंगे उस समय का कि०मी० संख्या लॉगबुक में दर्ज करेंगे एवं शाम को कार्यालय कार्य समाप्त होने के उपरांत पुनः कि०मी० संख्या लॉगबुक में दर्ज करके संबंधित पदाधिकारी/कर्मी का हस्ताक्षर प्राप्त करेंगे।

14. वाहन आपूर्तिकर्त्ता सप्ताहिक अवकाश एवं राजकीय अवकाश के दिनों में भी आवश्यकता पड़ने पर एवं सूचित किये जाने पर वाहन परिचालित करने हेतु चालक का वैकल्पिक व्यवस्था रखेंगे। वैकल्पिक व्यवस्था नहीं किये जाने की स्थिति में विभाग द्वारा किसी अन्य माध्यम से वाहन की व्यवस्था की जायेगी एवं ऐसा करने पर जो खर्च आयेगा उस राशि की वसूली वाहन आपूर्तिकर्त्ता को दिये जाने वाले मासिक भुगतान की राशि से की जायेगी। मासिक भाड़े पर उपलब्ध कराये गये वाहन को आपूत्तिकर्त्ता द्वारा अन्यत्र भाड़े पर उपयोग में नहीं लाया जाएगा। ऐसी जानकारी प्राप्त होने पर उक्त वाहन की सेवा से मुक्त किया जायेगा।

15. मासिक भुगतान की राशि में से नियमानुसार GST-TDS, Income Tax-TDS एवं केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विहित करों की विहित दरों से कटौती की जायेगी।

16. पंजी प्रत्येक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को चालक अद्यतन लॉग बुक वाणिज्य–कर विभाग के प्रतिनिधि के समक्ष जाँच हेतु प्रस्तुत करेंगे।

17. दैनिक भुगतान के आधार पर यदि वाहन लिया जाता है तो संविदा में तय किये गए प्रति किलोमीटर की दर से भुगतान किया जायेगा एवं यात्रा के दौरान चालक के लिए खाने एवं रहने के प्रबंध पर होने वाले सभी व्यय वाहन आपूर्तिकर्त्ता द्वारा किया जायेगा।

18. जब भी जितनी संख्या में वाहन की माँग की जायेगी फॉर्म / संस्था की उत्तनी ही संख्या में निर्धारित समय के अंदर माँग के अनुरूप गाड़ी उपलब्ध करना होगा।

19. किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा पटना जिला स्थित न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होगा।

विस्तृत जानकारी किसी भी कार्य दिवस में वाणिज्य—कर विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय एवं विभागीय वेबसाईट **state.bihar.gov.in/biharcommercialtax** प्राप्त की जा सकती है।

13/3/26

राज्य कर अपर आयुक्त(लेखा),
वाणिज्य—कर विभाग।

भाड़ें पर वाहन हेतु वित्तीय निविदा संबंधी प्रपत्र (अनुलग्नक)

क्र० सं०	श्रेणीी	वाहन का प्रकार		प्रति माह 1000 (एक हजार) कि0मी0 तक (चालक, ईंधन, अनुरक्षक एवं अन्य सभी कर सहित)	मासिक भाड़े का वाहन का अतिरिक्त कि0 मी0 का दर	प्रतिदिन 200 (दो सौ) कि0मी0 का दर	अतिरिक्त दर 200 (दो सौ) कि0मी0 के बाद का
1.	क	टाटा जेस्ट/स्वीफ्ट डिजायर/डिजायर Tours/होंडा अमेज	ए०सी०				
2.	ख	स्कॉरपियों/एर्टिगा/XL-6	ए०सी०				

24X7 के आधार पर वाहनों की उपलब्धता के लिए दर तालिका

क्र० सं०	श्रेणीी	वाहन का प्रकार		प्रति माह 2000 (दो हजार) कि0मी0 तक (चालक, ईंधन, अनुरक्षक एवं अन्य सभी कर सहित)	मासिक भाड़े का वाहन का अतिरिक्त कि0 मी0 का दर
1.	क	स्कॉरपियों/एर्टिगा/XL-6	ए०सी०		

निविदादाता का पूर्ण हस्ताक्षर एवं तिथि :–..
एजेन्सी/फर्म के प्रोपराईटर अथवा
उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम :–..

मोबाईल नम्बर :–..
(Preferrebly WhatsApp Mobile No.)

ई–मेल आई०डी०:–..

मुहर :–..

मासिक दर पर भाड़ें पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु तकनीकी निविदा का प्रपत्र

क्रम सं0	संलग्न किये जाने वाले कागजात	सूची की पृष्ठ संख्या
1.	2.	3.
1.	एजेन्सी/फर्म का निबंधन प्रमाण–पत्र (Shops & Establishment Act/Companies Act) के अंतर्गत निबंधन संख्या)।	
2.	GST निबंधन का प्रमाण–पत्र। (अद्यतन GST R-3B की कॉपी संलग्न करना होगा।)	
3.	आयकर संबंधी प्रमाण–पत्र यथा पैन–कार्ड। (विगत तीन वर्षों का आयकर रिटर्न अद्यतन वित्तीय वर्ष तक संलग्न करना होगा।)	
4.	Turn over संबंधी प्रमाण–पत्र	
4.	काली सूची में दर्ज नहीं होने संबंधी शपथ–पत्र। (Notarized Affidavit)	
5.	कार्य करने का न्यूनतम तीन वर्ष का कार्य अनुभव से संबंधित प्रमाण–पत्र।	
6.	**निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (Drawing & Disbursing Officer), वाणिज्य–कर विभाग** के नाम से रु० 50,000/–(पचास हजार रूपये) का डिमांड ड्रॉफ्ट Earnest Money Deposit के रूप में।	
7.	वाणिज्यक निबंधित वाहन उपलब्ध कराये जाने से संबंधित स्वघोषणा–पत्र।	
8.	सभी समर्पित कागजात के सही होने का स्वघोषणा–पत्र।	

Note :– 1. सभी कागजात की स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना है।

2. सभी कागजात पर क्रमबद्ध पेज संख्या अंकित होना चाहिए।

3. संबंधित कागजात का पेज संख्या सूची की पृष्ठ संख्या के उपर्युक्त कॉलम में अंकित करना है।

4. कार्य अनुभव प्रमाण–पत्र के जगह कार्यादेश अनुमान्य नहीं होगा।

निविदादाता का पूर्ण हस्ताक्षर एवं तिथि :–...

एजेन्सी/फर्म का नाम :–...

मोबाईल नम्बर :–...

(Preferrebly WhatsApp Mobile No.)

ई–मेल आई०डी०:–...

मुहर :–...